(d) whether Government have also discussed this issue with Finance Ministers and Health Ministers of States recently;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the steps taken by Government to ensure availability of medicines at reasonable prices to the general public?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No decision has been taken to make it compulsory for pharmaceutical companies to print the cost of production of medicines on each and every medicine pack.

(b) and (c) Do not arise in view of reply to (a), as above.

(d) and (e) A meeting of Finance Ministers and Health Ministers of all States/Union Territories was held on 18.8.2004 to discuss, *inter-alia,* the issue of MRP of medicines. However, as the States did not generally agree to the proposal of either exempting medicines from sale tax or reducing sale tax on medicines to uniform level, no final solution could be found on this issue in the meeting.

(f) The drug policies, as announced from time to time, are directed towards ensuring abundantavailability of quality drugs at reasonable prices.

दवाओं के अधिक मूल्य

146. **श्री राजमोन्दिर सिंह मजीठा:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षो में अनके दवा निर्माता कंपनियों ने अनेक दवाओं के निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल कर अतिरिक्त लाभांश कमाया है :

(ख) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं:

(ग) किन-किन दवाओं के लिए अतिरिक्त मूल्य वसूल किया गया है:,

(घ) क्या सरकार ने, इन कंपनियों द्वारा लिए गए अतिरिक्त मूल्य को वसूल करने के लिए कार्रवाई की है :, और

(ड) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ड) पहली अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य सरकार, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ.,1995) के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित /निर्धारित करती है। सूचीबद्ध सूत्रयोग के अधिसूचित/ स्वीकृति मूल्य के उल्लंघन के किसी भी मामले में डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती हैं।

राष्ट्रीय, औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए) की अगस्त, 1997 में स्थापना से लेकर नवम्बर, 2004 तक अधिप्रभार के 246 मामलों में 593 करोड़ रूपए की मांग आरोपित की गई है इनमें से लगभग 67% यानि 165 मामलों में कंपिनयों ने पूर्ण या आंशिक रूप में बकाये का भुगतान कर दिया है। अब तक लगभग 80 करोड़ रूपए वसूले जा चुके हैं।

Extra prices on medicines

†146. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA.
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many medicines manufacturing companies have earned extra dividend in cecent years by charging extra price than the prescribed price of many medicines;

(b) if so, the names of these companies;

(c) the names of medicines which have been charged extra;

(d) whether Government have taken action for recovering extra price charged by these companies; and

(e) if so, the details thereof?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF CHEMICALS, FERTILIZERS AND MINISTER OF STEEL (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) In accordance with the provisions of the Drugs (Price Control) Order, 1995 (DPCO, 1995) the Government fixes/revises prices of the drugs listed in its First Schedule and formulations based thereon. In case, there is any violation of the approved/notified price of a Scheduled formulation, action is taken under the provisions of the DPCO'95.

Since the inception of the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in August, 1997 and until November, 2004, a demand of Rs. 593 crores has been raised for overcharging in 246 cases. Of these, roughly 67% *i.e.,* in 165 cases, companies have fully or partly paid the amounts due. Approximately, Rs. 80 crores has been recovered so far.

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यदि आप चाहे तो क्वेश्चन नम्बर 145 और 146 को एक साथ ले लें।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, आप क्वेश्चन नम्बर 145 और 146 को club कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Question Nos. 145 and 146 have been clubbed.

SHRI M.A.M. RAMASWAMY: Mr. Chairman, Sir, it is a known fact that in our country prices of all the drugs, that is, pharmaceuticals, are over-period. Price control is ineffective. Some of the medicines and injections are priced much above the ceiling price fixed by the Government. There is a vast difference between the prices of Paracetamol of two different brands. Cough syrups and tonics are the most used and abused drugs, which have total sale of over Rs. 800/- crores. Though the cost of production of these drugs is much less, the retail price is on the higher side compared to the other countries. I would like to know from the hon. Minister whether it has come to his notice that some drugs are being sold at prices above the ceiling fixed by the Government. If so; has any action been taken against the manufacturers?

श्री राम विलास पासवान: सर, जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है कि ड्रग्स दो तरह के होते है। एक शैड्यूल्ड ड्रग्स है, जिनको हम कंट्रोल में रखते हैं और दूसरी अन-शैड्यूल्ड हैं,

डि- कंट्रोल्ड है । हमारे पास जो कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं,उनके ऊपर तो हमारा पूरा नियंत्रण है और उनका प्राइस निर्धारित करने से लेकर किस प्राइस तक वे बेची जाती है, इसकी हम मानिटरिंग करते है । इसमें पिछले दस साल में एवरेज एक प्रतिशत की वृद्वि हुई हैं । लेकिन जो ड्रग्स कंट्रोल्ड नहीं हैं, तो अन-शैडयूल्ड ड्रग्स है, उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और उन ड्रग्स के दाम काफी हैं ।

सर, माननीय सदस्य ने ठीक से कहा है कि बहुस-सी ऐसी दवाइंया है जिनकी कीमत एक परसेंट नहीं, दो परसेंट नहीं, जेनरिक दवाइयां तो ऐसी है, जिनके दाम एक हजार पररसेंट, दो हजार परसेंट से अधिक हैं । जैसे-सेट्राजिन है, जिसका कि रिटेल प्राइस 1.20 पैसे हैं, लेकिन मार्केट में उसका एम.आर.पी.37 रूपऐ का लगा रहता है । हमारे पास जो कंट्रोल की दवाइंया है, उनके ऊपर तो हमको मानिटरिंग करने का पूरा अधिकार है और हमने उनकी मानिटरिंग भी की है । पिछले पांच साल में ओवर चार्जिज के रूप में उनके ऊपर 594 करोड़ रूपया बकाया था । लेकिन दुर्भाग्य से ये इतने बड़े-बड़े लोग हैं कि ज्यों ही उनके ऊपर कोई जरा-सा हाथ डालने की कोशिश करता है, वे तुंरत कोर्ट में चले जाते हैं । एक-एक कम्पनी के पास में 350 करोड़ से ज्यादा का चार्जिज बकाया है । हमारे लिए दिक्कत यह है कि उनके पास पैसा अधिक है, वे बड़े से बड़े लॉयर को रख लेते हैं, राम जेठमलानी जैसे लॉयर को रख लेते हैं...(**व्यवधान**)....क्वेश्चन भी उन्हीं का है इसीजिए मैंने कहा है । जो डिपार्टमेंट है, वह कैसे चलता है, उसके बारे में आपको मालूम है । नतीजा यह होता है कि अभी तक पिछले सात साल में कुल मिलाकर 80 करोड़ रूपए की रिकवरी की गयी है और कभी भी 17 करोड़ रूपया बकाया है । लेकिन इस साल हमने 6 महीने के अंदर 16 करोड़ रूपए की रिकवरी की है जबकि पिछले सात साल से 65 करोड़ रूपए की रिवकरी की गयी थी । नॉन शैडयूल्ड के ऊपर अलग है लेकिन जवाब बहुत लम्बा हो जाएगा इसलिए अगर माननीय सदस्य दूसरे सप्लीमेंटरी में कोई सवाल पूछेगे तो मैं जवाब दे दूंगा ।

SHRI MAM. RAMASWAMY: Sir, the hon. Minister has clearly explained his difficulty, but I still request him to kindly see that some interaction takes place between the States and the Centre to control these prices effectively, because the poor people are badly affected.

श्री राम विलास पासवान: सर, हमने राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक बुलायी थी । जो हमारा आई.पी.ए., Indian pharmaceutical Alliance है और आई.डी.एम.ए. , Indian Drugs Manufactures' Association हैं, उनकी भी बैठक हमने बुलायी थी और हम बैठक में हमने कोशिश की थी कि कुछ प्वाइंट्स के ऊपर सहमति हो, जिससे दाम कम किये जा सकें, लेकिन दुर्भाग्य से एक तो वैट हैं । आप देखते होंगे कि दवाइयों एम.आर.पी.लिखा रहता हैं, Maximum Retail Price Plus Local Tax. वह लोकल टैक्स, जितना

उसका मन होगा है, लेते रहते हैं । उस परिस्थिति में हमने कहा था कि कम से कम एक काम करो कि वैट लागू होने वाला है इसलिए सब राज्य सरकारें या तो लोकल टैक्स को खत्म करें या चार परसेंट रखें । उसमें भी आम सहमति बनी । बहुत से लोगों की सहमति थी लेकिन कुछ लोगों ने ऑबजेक्शन की कि केन्द्र सरकार उसका हर्जाना दे, तब हम उसको करेंगे । इसलिए उस पर सहमति नहीं बन पाई । लेकिन अच्छी बात यह है कि जैनेरिक वाली जो दवाइंया है, उनके संबंध में इंडियन ड्रग मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को कहा हैं, उनसे अपील की है कि वे 20 परसेंट दाम कम करें । लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि 20 परसेंट दाम कम करने की बात वे कर रहे है लेकिन कमा रहे है, हजार परसेंट । दूसरा आई.पी.ए. की मीटिंग हुई थी । उस आई.पी.ए. की मीटिंग में उन लोगों ने इश्योरेंस दी थी कि हम 31 मार्च तक दाम नहीं बढ़ाएंगे ।

श्री राम मोहिन्दर सिंह मजीठा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि मेडिसिंस की , दवाइयों की कीमत सरकार नियत करती है । मेनुफैक्चरर और कम्पनीज अपनी मर्जी से नियत मेनुफैक्चरर और कम्पनीज अपनी मर्जी से नियत की गयी कीमतों से कहीं ज्यादा वसूल करती हैं । सरकार ने एक्शन लिया, बहुत कम लिया और दो-चार कम्पनियों को नोटिस दिया । इनमें से तीन कम्पनियों, रेनबेक्सी, सिप्ला और डा.रेड्डी की कम्पनी जवाबदेह थी । महोदय, आपने कहा कि 593 करोड़ रूपया इन कम्पनियों ने दवाइयों में ज्याद वसूल किया है और आज तक उनसे सिर्फ 80 करोड रूपया वसूल हुआ, 513 करोड़ रूपया अभी वसूल होना बाकी है । मैं यही पूछना चाहता हूं कि 513 करोड़ रूपया कब वसूल होगा और अगर वसूल कर लेते हैं तो इससे कंज्यूमर को क्या मदद देंगे।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, यह मेरे हाथ में नहीं हैं । यह मामला देश की विभिन्न कोर्ट्स में, न्यायालायों में लम्बित है और न्यायालयों ने उनको स्थगित कर रखा है इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं ।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, अगर वैट लागू हो जाता है तो दवाइयों की कीमत ज्यादा हो जाएगी । मैं तो यही विनती करूंगा कि आप काबिल नेता है । आप कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिससे दवाइयों की कीमत कंट्रोल में रहे और कम्पनीज वाले तथा शहरों में जो बड़ी-बड़ी दुकानों वाले हैं, वे दवाइयों की कीमत ज्यादा न वसूल कर सकें । मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसके बारें में कुछ करें ।

श्री राम विलास पासवान: सर, इसके लिए हमने ज्वांइट सेक्रेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है । कमेटी में ड्रग कंट्रोलर्स भी है, लॉ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी है । उस संधु कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह की दवाइयां है । एक दवाई वह है जो हमारे कंट्रोल में हैं और दूसरी दवाइंया वे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं ।उस

संधु कमेटी ने जो अंतरिम रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए है। जैसाकि मैंने एक बार पहले इस हाऊस में शायद कहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री का जो मामला है – उसमें कौन सी दवाइयां लाइफ सेविंग ड्रग्स है-उन लाइफ सेविंग ड्रग्ज की अभी तक, केवल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। Essential Drugs की परिभाषा हैं और कुल मिलाकर 274 essential deugs हैं। इन्होंने कहा है कि इसको दो पार्ट में किया जाए – एक ऐसा हो जिसको हम कह सकें कि हम उसको अंडर कंट्रोल करेंगे। जब हम अंडर कंट्रोल करते हैं तो थोक विक्रेता को 8 परसेंट मुनाफा कमाने की छूट देते हैं और जो रिटेलर है, उनको 16 परसेंट देते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो essential deugs है, उनकी monitoring नॉर्मल होती है। उन्होंने रिकमंडेशन किया है कि उसकी monitoring लगातार होनी चाहिए। तीसरा है ट्रेड मार्जिन का। जो non-essential drugs है, उनमें जो ट्रेड मार्जिन है, उन्होंने कहा है कि ट्रेड मार्जिन, होलसेलर का 15 परसेंट और रिटेलर का 35 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस सबंधं में हम लॉ मिनिस्ट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्री सभापति: श्री राम जेठमलानी...उपस्थित नहीं हे। डा. मलयसामी, बोलिए।

DR. K. MALAISAMY: Sir, the paramount responsibility of any Government is to ensure four 'As', By this, I mean, the first 'A' stands for availability; the second 'A' stands for accessibility; the third 'A' stands for affordability; and the fourth 'A' stands for acceptability. I would like to know from the hon. Minister whether in the case of consumables and, particularly, in the case of medicines, these four 'As' are available. This is the first part of my question.

The second part of my question is this. In case of life-saving devices and life-saving medicines, we are told that they are not at all available. So, I would like to know whether the essential medicines and life-saving medicines are made available.

श्री राम विलास पासवान: सर, जहां तक दवाई का सवाल है, कौन-सी दवाई खरीदी जाए, यह कंज्युमर्स के हाथ में नहीं होता है, यह तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरा सामान जैसे थाली, लोटा, गिलास वगैरह तो अपने मन के मुताबिक खरीद सकते है लेकिन दवाई वही होगी – चाहे ज्यादा दाम की हो या कम दाम की हो-जो डॉक्टर लिखेगा। उसी तरीके से जो आपने लाइफ सेविंग ड्रग्ज के संबंध में कहा, मैंने पहले ही कहा कि इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं। इस संबंध में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्ररी के साथ बातचीत हो रही है और हमने कहा है कि कम से कम लाइफ सेविंग ड्रग्ज में एच. आई.वी. या कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयों को मांगों। उन्होंने कहा कि मलेरिया की दवाई भी लाइफ सेविंग ड्रग्ज में आएगी या सर्दी का भी अगर ठीक से इलाज न करो

तो वह जानलेवा हो सकती है। तो जो विदेश का पैटर्न है, वह हमारे यहां अभी भी लागू हैं। इसलिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्ज हैं, इसके लिए संधु कमेटी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इसको तय कर रही हैं।

डा.मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि अब वर्ष 2005 में जो बौद्धिक संपदा के कानून आ रहे हैं, उसके तहत दवाइयों के बेतहाशा दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भारत जैसे देश में आम आदमी को दवाइंया सस्ते दामों पर सुलभ हो सकें और जो बेतहाशा दाम बढ़ने की प्रक्रिया हमने अन्य देशों में देखी है, उससे देश बच सकें ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था पेटेंट कानून में करेगी ?

श्री राम विलास पासवान: सर, हम उसके लिए पूरा ध्यान रख रहे हैं लेकिन यह बहुत सारे मंत्रालयों से संबंधित है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि एवरग्रीन जो उनका पेटेंट का तरीका है कि छोटा-छोटा इंप्रूवमें करके फिर पेटेंट की अवधि को बीस साल तक बढ़ा लो, तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि इस तरह उसमें नहीं होना चाहिए, मैनें उसका ख्याल रखा है। दूसरा है, प्री-ग्रांट अपोजिशन के कोई भी आप पेंटेट बनाते हैं तो उसमें पहले भी हमारी मिनिस्ट्री की जी.एम.ओ. के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर यशंवत सिन्हा जी हमारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे देंगे, तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि...

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय,मैंने उस प्रिविलेज मोशन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने खुद किया है। मैं अब कहना चाहता हूं कि हां, मैंने दिया है आपके विरूद्ध प्रिविलेज मोशन कि आपने हाऊस के प्रिविलेज का ब्रीच किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान:सर, मैं आपके आदेश से, जो पब्लिक इन्टरेस्ट में हैं...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप उसमें मत जाइए, ब्रीच आफ प्रीविलेज में।...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान: हम लोग आपके समान बहुत विद्वान नहीं हैं। हम पब्लिक के आदमी है, जो पब्लिक के इन्टरेस्ट में होता है, बोल देते हैं।....(**व्यवधान**)...उसमें हमारी नीयत बुरी नहीं रहती है।...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: आप बैठिए।...(**व्यवधान**)...

श्री विक्रम वर्मा: लालू यादव के बारे में ..(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: पब्लिक इन्टरेस्ट के बारे में नहीं बोला। ...(**व्यवधान**)...भंडारी जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं।...(**व्यवधान**) ...पब्लिक इन्टरेस्ट में वे क्या बोले ?..(**व्यवधान**)....

श्री सभापति:जरा जवाब तो देने दीजिए ।...(**व्यवधान**)...आप क्या कर रहे है ?...(**व्यवधान**)...

प्रो.राम देव भंडारी: लालू जी और राम विलास जी की चर्चा करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है । आप अपना समय बर्बाद कर रहे है, अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं ।....(**व्यवधान**)...

डा.मुरली मनोहर जोशी: सर, मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे थे । मेरा जन जीवन से संबंधित प्रश्न हैं ।

श्री राम विलास पासवान: सर,यह बहुत ही गंभीर मामला है । जो प्री ग्रांट अपोजिशन है कि पेटेंट लागू करने से पहले भी सुनवाई होनी चाहिए । यदि किसी को उसके खिलाफ अपना पक्ष रखना है और जब आप पेटेंट लागू करते हैं उसके बाद भी सुनवाई होनी चाहिए । यह हमारे मंत्रालय का सुझाव है । जहां तक सवाल है जो हमें जानकारी मिली है कि पेटेंट एक्ट 1995 से होगा । जो 1995 से पहले बनी दवाइयां हैं, यदि उनके ऊपर पेटेंट लागू नहीं होता है तो 90 परसेंट दवाई पेटेंट से बाहर हो जाती है । जो हमने एक सुझाव दिया है कि जब तक पेटेंट के अंदर दवाई शुरू नहीं हो जाती है तब तक जो प्रचलित दवाई है, उसके उत्पादन को नहीं रोका जाए । नहीं तो ऐसा होता है कि ज्यों ही पेटेंट लागू हुआ, उसी समय आप बाजार में उसकी बिक्री बंद कर देते हैं ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है, आप बाद में कह दीजिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या आपका मंत्रालय कम्पलसरी लाइसेंस रखने की व्यवस्था रखने के पक्ष में हैं ?

श्री राम विलास पासवान: हमारे यहां डी.पी.सी. में आलरेडी कम्पलसरी लाइसेंसिंग की व्यवस्था है ।

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करना, बहुत बड़ी समस्या तो है ही, इसके बारे में मंत्री जी ने कहा है । हमारे देश में जो नकली दवाओं का व्यापार चल रहा हैं, वह भी बहुत चिंता का विषय हैं । अभी जिस बात का ज़िक्र हुआ है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, बाजार में नकली बिक रही है, इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इसको रोकने कि लिए, क्या सरकार सदन में विधेयक लाने की कोई योजना बना रही है ? अगर योजना बना रही है तो कब तक वह सदन में पेश की जाएगी ?

श्री राम विलास पासवान: सर, जो एन.पी.पी.ए. का काम है, जो नेशनल प्राइसिंग अथोरिटी है, उनका और हैल्थ मिनिस्ट्री का काम अलग है । जो हमारा काम दवाई का फार्मुलेशन से लेकर दाम तय करने तक का है । कौन सी दवाई नकली है और कौन सी क्या दवाई है, यह सब तय करना हैल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता हैं ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister was saying that the pharmaceutical companies were going to the courts on the issue of non-schedule drugs, that arrears were due and that they were not able to control the prices of those medicines.

Sir, on the one side, the consumer has to get protection; he should know at what price the medicines are being sold. On the other side, the Central Government and State Governments should coordinate together and see that prices are fixed at a reasonable price for the prople who are consuming the medicines. Therefore, I would like to know from the hon. Minister, on the issue of fixing the prices of even non-schedule drugs, would he call a meeting of the Health Ministers? Because, there is dispute only on the issue of Sales Tax.

MR. CHAIRMAN: Please, put our question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there is dispute only on the issue of sales tax. But on other items, about fixing the prices, could a consensus be arrived at by the Ministry and the State Governments concerned for the non-schedule drugs also?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमें मीटिंग बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसलिए जैसा मैंने कहा कि हम तो कंट्रोल चाहते है कि अधिक से अधिक दवाई को अंडर कंट्रोल लाया जाए । लेकिन ज्यों ही कंट्रोल की बात होती है तो हाय-तौबा मचने लगती है कि मार्किट से दवाई गायब हो जाएगी । जो दवाइयां अंडर कंट्रोल नहीं है, उनके संबंध में आलरेडी पॉलिसी है कि जिनका 20 परसेंट से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो उनको हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं । लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहला क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेन्ट पहला पार्ट था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मामला है, इसमें बहुत सारी दवाइयां है । खास कर के जेनेटिक दवाइयां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई जाती है । इनको सभी चीजों से, एक्साइज वगैरह से फ्री रखा गया है । नतीजन हमें सबसे मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन क्या है । हमने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन के बाद हम हंड्रेड परसेंट छूट उन्हें देंगे । यह छूट देकर पंद्रह परसेंट होल सेलर को और पैंतीस परसेंट रिटेलर को मार्जिन हम देंगे, यह हमारा सुझाव है । लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन हमें कैसे मालूम हो, इसके लिए हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके उपाय निकाल रहे है ।

श्री सभापति:नेक्स्ट भी ऐसा ही है । माननीय मंत्री महोदय आपको एक सुझाव दूंगा कि सप्लीमेंट्री के लिए जितने नाम दिए हैं, मैं आपके पास भेज रहा हूं । आप उनको बुलाकर बात कर लीजिए ।

श्री राम विलास पासवान: ठीक हैं।

एक माननीय सदस्य: सभापति जी।

श्री सभापति: आपका नाम है इसमें।

Functioning of Drugs Control Organizations

*147. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA. Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sub-standard medicines in the country are being sold and the Drug Controller has failed to curb their sale;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Dr. Mashelkar Committee Report has pointed out the inadequacy in the Drugs Control Organisations (DCOs) at the Central and State level and has recommended the strengthening of DCOs; and

(d) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Under the provisions of Drugs and Cosmetics Act, 1940, and Rules framed thereunder, the State Governments, through their respective Drugs Control Organizations, are empowered to regulate manufacture of drugs and to monitor the quality of drugs moving in the inter-State commerce.

There are a number of quality standards prescribed for drugs in the Drugs and Cosmetics Act. Deviation in any of the parameters of the overall standards laid down, may result in a drug being declared as "not of standard quality" or "sub-standard". Any drug found not of standard quality/ substandard is withdrawn from the market by the concerned State Drug Control Authorities and cannot be sold.

Sub-standard drugs can result due to inadequate pre-formulation development, lack of in-process controls exercised by the manufacturer, improper conditions under which drugs are stored and transported in the supply chain etc.